न्यायालय विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.एल.ए./
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02, औरैया।

सत्र परीक्षण संख्या 81 सन् 2021 (मु०अ०सं० 189/2020)

राज्य बनाम कमलेश पाठक आदि

दिनांक–19.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त अवनीश प्रताप सिंह उपस्थित। शेष अभियुक्तगण जरिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जेल से उपस्थित रहें।

प्रार्थी/गवाह संजय चौबे की ओर से प्रार्थना पत्र 290 ख प्रस्तुत किया गया है, जिस पर वादी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी संजय चौबे की ओर से प्रार्थना पत्र 290 ख संक्षेप में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उसके भाई मंजुल चौबे व बहन सुधा की हत्या हुई थी और वह पीड़ित व्यक्ति है। इस सत्र परीक्षण में अभियुक्त कमलेश पाठक की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2022 को स्वीकार की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिन–प्रतिदिन सुनवाई करने एवं दो माह में निर्णीत करने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश की सही नेट कॉपी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। अतः याचना की गई है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विचारण में दिन–प्रतिदिन की तिथि नियत कर विचारण का निस्तारण शीघ्र करने की कृपा करें।

विरोध में अभियुक्त कमलेश पाठक की ओर से आपत्ति 295 ख/1 दाखिल कर संक्षेप में कथन किया है कि वादी की ओर से आज एक–दो वर्ष पूर्व का आदेश दाखिल किया है जो जमानत प्रार्थना पत्र का आदेश है, इसीलिए पूर्व से ही दाखिल था। वादी द्वारा 482 के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 32509/2024 इस प्रार्थना के साथ दाखिल की है कि दिन–प्रतिदिन की सुनवाई हेतु आदेश पारित कर दिया जाये, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश प्रथम बार पारित करना उचित नहीं समझा, बल्कि सभी अभियुक्तगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये। जिसके संबंध में पारित आदेश की कॉपी संलग्न है। इस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यही प्रार्थना पत्र सबज्यूडिस है। इस तथ्य को छिपाकर न्यायालय के समक्ष पुराना आदेश दाखिल किया गया है। ऐसी सूरत में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन यह याचना जब तक स्वीकार न कर दी जाये, तब तक उससे पहले ही अन्य मोड में ऐसा आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINGH
Date: 2024.11.19 15:42:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी संजय चौबे द्वारा प्रार्थना पत्र 290 ख के साथ शपथ पत्र एवं क्रिमि० मिस० बेल याचिका संख्या 46390/2020 कमलेश पाठक बनाम उ०प्र० राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.04.2022 की प्रति दाखिल की है, जिसके संबंध में वाद लिपिक की आख्या के अनुसार, उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर चेक किया गया, आदेश सही पाया गया।

क्रिमि० मिस० बेल याचिका संख्या 46390/2020 कमलेश पाठक बनाम उ०प्र० राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.04.2022 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याची/अभियुक्त कमलेश पाठक की जमानत प्रस्तुत वाद संख्या 81/2021 से संबंधित मु०अ०सं० 189/2020 में स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया गया कि विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह मामले में दिन–प्रतिदिन के आधार पर कार्यवाही करें तथा विचारण न्यायालय धारा 309 दं०प्र०सं० के कठोर अनुपालन के तहत एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शैलेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2002) 1 एस.सी.सी. 655, विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य (2015) 3 एस.सी.सी., हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702 एवं राजेश यादव बनाम उ०प्र० राज्य, क्रिमि० अपील नंबर 339–340/2014 (निर्णय दिनांकित 06.02.2022) में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार, विचारण को आदेश प्राप्त होने के दो माह के अंदर पूर्ण करें।

जहाँ तक अभियुक्त कमलेश पाठक की ओर से दाखिल आपत्ति 295 ख/1 के साथ प्रस्तुत की गई याचिका संख्या 32509/2024 का प्रश्न है, इसके तहत भी माननीय उच्च न्यायालय में इस आशय की याचना की है कि दिन–प्रतिदिन की सुनवाई हेतु आदेश पारित कर दिया जाये, जबकि इस संबंध में क्रिमि० मिस० बेल याचिका संख्या 46390/2020 कमलेश पाठक बनाम उ०प्र० राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांकित 13.04.2022 के तहत पहले से ही आदेश पारित हो चुका है। अभियुक्त कमलेश पाठक अथवा वादी की ओर से माननीय उच्च न्याायलय का ऐसा कोई आदेश दाखिल नहीं किया है, जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 46390/2020 में पारित आदेश दिनांकित 13.04.2022 में दिन–प्रतिदिन की सुनवाई किये जाने संबंधी निर्देश में कोई परिवर्तन अथवा अपास्त किया हो। अतः ऐसी स्थिति में याचिका संख्या 46390/2020 में पारित आदेश दिनांकित 13.04.2022 से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय का विचारण न्यायालय के लिए पारित निर्देश अभी तक अस्तित्व में होना माना जाता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करना इस न्यायालय की विधिक जिम्मेदारी है। चूंकि उक्त आदेश प्रार्थना पत्र 290 ख के माध्यम से आज मेरी जानकारी में लाया गया है। अतः याचिका संख्या 46390/2020 में पारित आदेश

दिनांकित 13.04.2022 के अनुपालन में मुख्य अपराध संख्या 189/2020 से संबंधित प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या 81/2021 के विचारण को यथाशीघ्र पूर्व किये जाने हेतु इसकी कार्यवाही को दिन–प्रतिदिन किया जायेगा।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि सत्र परीक्षण संख्या 81/2021 के साथ अन्य पत्रावलियाँ भी इस न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार समेकित की जा चुकी हैं और सत्र परीक्षण संख्या 81/2021 की पत्रावली अग्रणी है। अतः इस सत्र परीक्षण संख्या 81/2021 के साथ समेकित पत्रावलियों में भी अग्रणी सत्र परीक्षण संख्या 81/2021 के साथ दिन–प्रतिदिन कार्यवाही की जायेगी।

आज साक्षी प्रस्तुत नहीं हुआ है। साक्षी का समन अविलंब जारी हो।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 20.11.2024 को पेश हो।

दिनांक 19.11.2024

विशेष न्यायाधीश एम.पी/एम.एल.ए./
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–02, औरैया